संख्या–1015 / पॉच–9–2013–9(115) / 10

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 15 जून, 2013

विषयः–बाल स्वास्थ्य गारण्टी योजना के अन्तर्गत विद्यालयो में संचालित योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों को सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश में बच्चों की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के सम्बन्ध में वर्ष 2012–13 से बाल स्वास्थ्य गारण्टी योजना संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र के 02 से 19 वर्ष के किशोर एवं किशोरियों के स्वास्थ्य परीक्षण/जाँच, उपचार तथा सन्दर्भन की व्यवस्था है। योजना के द्वितीय चरण (वर्ष 2013–14) में कक्षा–01 से कक्षा–12 तक के समस्त सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा के तहत संचालित विद्यालय, बाल श्रम विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालय, मदरसे, अनाथालय एवं बाल अपराध गृह के बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण की योजना है। शासन के संज्ञान में आया है कि मा0 जनप्रतिनिधियो को यह जानकारी नही हो पाती है कि उनके क्षेत्र मे किन–किन विद्यालयों में कब–कब बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया बाल स्वास्थ्य गारण्टी योजना के अन्तर्गत विद्यालयो में संचालित योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय तथा कार्य योजना का विवरण क्षेत्र के संबंधित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों यथा मा0 सांसद, मा0 सदस्य विधान सभा/विधान परिषद, जिला पंचायत अध्यक्ष/ब्लाक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान एवं महापौर, नगर महापालिका, अध्यक्ष, नगर पालिका, क्षेत्रीय सभासद/पार्षदों आदि को भी उपलब्ध कराने की कार्यवाही करें।

उक्त आदेशो का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

भवदीय,
15/6/2013
(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1) / पॉच–9–2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ0प्र0 लखनऊ।
2– महानिदेशक, परिवार कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।
3– मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
4– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,
(मन किशोर)
उप सचिव।

R-G.O 712